

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

आप्रकार

संख्या

०७

बनाम

वृत्त राम भादि

२०२२ अन्तर्गत धारा

२१२ RPA

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

१२/३/२५

अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची अधिवक्ता संख्या ३ व ५ की तलवी हेतु सम्मत, तलवाना पेश हो। ११ की अधिव आगामी पेशी तक बढा जाती है। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक २२/३/२५ को पेश हो।

२२/३/२५

वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में बास्त हैं। पत्रावली दिनांक २५/५/२५ को पेश हो। Kamra

२५/५/२५

अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के द्वारा अवगत करवाया कि प्राचीगण की ओर से पेशी की दिवायत नहीं है। न्यायालय से प्राची को सम्मत जारी हो। ११ की अधिव आगामी पेशी तक बढा जाती है। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक २२/०५/२५ को पेश हो।

पुल्लो जी/६१५६  
नहीं है

२३/५/२५

वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में बास्त हैं। पत्रावली दिनांक १०/६/२५ को पेश हो। Kamra

१०/६/२५

वादीगण उपस्थित नहीं। वादीगण को सूकर कर ३ बार आवान्य लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण का प्रापना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RPA अदम होजरी में खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अध्यापी निबन्धास्ता दिनांक २३/०२/२२ भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्गति होकर नवम्बर से कज होकर दायित सूकर हो।